

जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार एवं जनजातीय मंत्रालय म.प्र.शासन तथा शिक्षा मंत्रालय भारत
सरकार एवं स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन से मान्यता प्राप्त

अध्ययन केन्द्र नवीन सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन पत्र

सत्र 2025-26

दूरवर्ती/दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित।

दिनांक

नवीन विद्यालयों को एल.के.जी. (अरुण)/यू.के.जी. (उदय)/कक्षा-1 से 04/प्रवेशिका/प्रथमा/पूर्वमध्यमा/उत्तरमध्यमा की विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हो। (नवीन विद्यालय एवं पूर्व से संचालित विद्यालय भी आवेदन कर सकते हैं।)

1. सम्बद्धता/मान्यता चाहने वाली कक्षा का स्तर :-

(प्राथमिक 5वीं/माध्यमिक 8वीं/हाई स्कूल 10वीं/हायर सेकण्डरी 12वीं) चिन्हित करें।
2. समिति का नाम एवं पता
3. विद्यालय का नाम
4. स्कूल डाईस कोड एवं विद्यालय कोड/महाविद्यालय कोड
5. विद्यालय का पूर्ण पता, प्लॉट/मकान नं./मोहल्ल वार्ड नं.
ग्राम/नगर पोस्ट वि.खं. तहसील
जिला पिन कोड फोन नं. (एस.टी.डी. कोड सहित)
मोबाईल नम्बर
6. समिति का पंजीयन क्रमांक- दिनांक वैधता दिनांक
..... आयकर लेखा नम्बर (पैन नं.) प्रबंध समिति की सदस्यों
की संख्या (प्रबंध समिति के सदस्यों की प्रमाणित सूची एवं पंजीयन प्रमाण पत्र
की अद्यतन प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
7. समिति के अध्यक्ष/सचिव का नाम स्थाई पता
ग्राम/नगर पोस्ट जिला
पिन कोड फोन नम्बर मोबाईल नम्बर
8. समिति/संस्था द्वारा संचालित अन्य विद्यालय/शालाओं का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण
पता सूची संलग्न करें।
9. विद्यालय किस क्षेत्र में स्थित है :-
1- शहरी/ग्रामीण
2- विद्यालय के क्षेत्र के नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत का नाम
.....

10. जिला मुख्यालय से विद्यालय की दूरी
11. निकटतम पुलिस थाना/चौकी का नाम
शाला की दूरी किलो मीटर तहसील
12. (1) निकटतम शासकीय हाई स्कूल का नाम
पता दूरी कि.मी.
(2) निकटतम शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल का नाम
पता दूरी कि.मी.
(3) निकटतम अशासकीय हाई स्कूल का नाम
पता दूरी कि.मी.
(4) निकटतम अशासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल का नाम
पता दूरी कि.मी.
(5) निकटतम शासकीय/अशासकीय संस्कृत पाठशाला का नाम
पता दूरी कि.मी.
13. विद्यालय का प्रकार (सह शिक्षा)/केवल बालक/केवल कन्या विद्यालय/आवासीय
14. क्या यह संस्था किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबद्ध है, यदि है तो विवरण दें किस बोर्ड/विश्वविद्यालय से कब से
मान्यता/सम्बद्धता क्रमांक एवं दिनांक
15. जिस समिति के द्वारा यह विद्यालय संचालित किया जा रहा है, क्या इसी समिति के द्वारा किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से कोई अन्य नाम से या इसी नाम से विद्यालय/महाविद्यालय संचालित किया जाता है, विवरण दें
16. विद्यालय/महाविद्यालय में यू.जी./पी.जी. कक्षाएं एवं कोर्स चलाई जाती हैं, विवरण दें

17. विद्यालय/महाविद्यालय का प्रकार :-

1- अशासकीय विद्या./शासकीय विद्या./परम्परागत आवासीय विद्या./गैर परम्परागत विद्यालय/महाविद्यालय

2- आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालय में रहने वाले एवं पढ़ने वाले छात्र, छात्राओं की कक्षा वार विवरण :-

(1) एल.के.जी. (2) यू.के.जी. (3) कक्षा-1 से 5 (4) कक्षा-6 से 8 (5) कक्षा-9 से 10 (6) कक्षा-11 से 12 एवं महाविद्यालय में शासकीय/अशासकीय कोर्स यू.जी./पी.जी. संचालित हो, विवरण दें (यदि है तो)

18. समय विभाजन चक्र कक्षावार/शिक्षावार संलग्न करें।

19. विषयवार कार्यरत शिक्षकों की सूची संलग्न करें प्रारूप अनुसार यथा

क्र.	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	जन्म तिथि	पद	योग्यता	शैक्षणिक योग्यता के विषय	परीक्षा वर्ष	शिक्षा प्रशिक्षण बी.एड./डी.एड./एम.एड./बी.टी.आई/बी.टी.सी./शिक्षा शास्त्री व अन्य	नियुक्ति दिनांक
1								
2								
3								
4								

प्राचार्य/संचालक

हस्ता. पद मुद्रा सहित

20. शैक्षणिक व्यवस्था का विवरण :-

(1) प्राधानाध्यापक शैक्षणिक योग्यता

(2) प्राचार्य/अध्ययन केन्द्र प्रभारी का नाम शैक्षणिक योग्यता

- (3) संस्कृत योग्यताधारी शिक्षकों की कुल संख्या (एम.एड./बी.एड./शिक्षा शास्त्री/डी.एड./बी.टी.आई.)
- (4) आधुनिक विषयों के शिक्षकों की कुल संख्या (एम.एड./बी.एड./शिक्षा शास्त्री/डी.एड./बी.टी.आई.)
- (5) व्याख्याताओं की कुल संख्या (एम.एड./बी.एड./शिक्षा शास्त्री/डी.एड./बी.टी.आई.)
- (6) उच्च श्रेणी शिक्षकों की संख्या (एम.एड./बी.एड./शिक्षा शास्त्री/डी.एड./बी.टी.आई.)
- (7) सहायक शिक्षकों की संख्या (एम.एड./बी.एड./शिक्षा शास्त्री/डी.एड./बी.टी.आई.)
- (8) पी.टी.आई. सहायक शिक्षक विज्ञान एवं अन्य विषय
- (9) अध्यापन का माध्यम
- (10) छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क का विवरण :- (शुल्क का विवरण देना अनिवार्य है।)
प्राथमिक स्तर/माध्य.स्तर/हाईस्कूल स्तर/हायर सेकण्डरी स्तर, शुल्क विवरण दें
1- 2- 3- 4-
5- 6- 7- 8-
21. कार्यालयीन कर्मचारियों का विवरण :-
(अ) लेखापाल कार्यालय सहायक चतुर्थ श्रेणी
(ब) कम्प्यूटर शिक्षक विषय/विशेषज्ञ शिक्षक/शिक्षिका
22. कक्षाएं संचालन की परिवार की जानकारी दें
प्रातः कालीन प्रथम पारी दोपहर कालीन द्वितीय पारी कक्षाएं
1. समय से तक समय से तक समय से तक
2. समय से तक समय से तक समय से तक
23. विद्यालय के भवन व भूमि का विवरण :-
खसरा नं./भूखण्ड क्रं. क्षेत्रफल

अ/— (1) भवन व भूमि के स्वामित्व की है तो उसके संबंध में राजस्व अभिलेख (खसरा/बी-1 नक्शा) की प्रमाणित प्रति व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति संलग्न करें

(2) भूमि किराये की है तो मालिक का नाम/पूरा पता

(3) भवन यदि किराये का है तो मालिक का नाम/पूरा पता

(भूमि/भवन स्वामित्व संबंधी अभिलेख की प्रति व पंजीकृत अथवा नोटरी द्वारा किरायेनाम (500/-रु. के स्टाम्प) की प्रति संलग्न करें।)

(4) विद्यालय की भूमि का कुल क्षेत्रफलवर्गफुट/एकड़/हेक्टेयर।

(5) भवन हेतु भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल वर्गफुट/वर्गमीटर।

ब/— (1) भवन का निर्मित क्षेत्रफल भवन से लगी हुई खाली भूमि का क्षेत्रफल (भवन भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल (तीन मंजिल) से अधिक न हो।

(2) अध्यापन हेतु उपलब्ध कक्षाओं की संख्या क्षेत्रफल वर्गफुट

(3) प्राचार्य/कार्यरत शिक्षकों हेतु कमरों की संख्या संख्या क्षेत्रफल वर्गफुट

(4) पुस्तकालय व प्रयोगशाला के लिए कमरों की संख्या संख्या क्षेत्रफल वर्गफुट

(5) खेलकूद हेतु मैदान का क्षेत्रफल वर्गफुट/वर्गमीटर

24. छात्र एवं छात्राओं के लिए प्रसाधन की संख्या :—

छात्रों के लिए छात्राओं के लिए

25. शुद्ध पेयजल की व्यवस्था :—

कुंआ/हेण्डपम्प/नल

26. प्रयोगशाला की जानकारी :—

(अ) विषयवार प्रयोगशालाओं की संख्या

(ब) कुल क्षेत्रफल वर्गफुट/वर्गमीटर

(प्रत्येक विषय की प्रयोगशाला में उपलब्ध सामग्री/उपकरण की पृथक संलग्न करें।)

27. पुस्तकालय की जानकारी :—

- (अ) कक्ष का क्षेत्रफल वर्गफुट / वर्गमीटर
- (ब) पाठ्य पुस्तकों के अलावा उपलब्ध पुस्तकों की संख्या
28. फर्नीचर की व्यवस्था (संख्या दें)
- (अ) छात्र-छात्राओं के लिए उत्पीठिका कुर्सी बैंच
- (ब) कार्यरत कर्मचारियों हेतु उत्पीठिका कुर्सी बैंच
29. विद्युत व्यवस्था है अथवा नहीं
30. उपकरण की संख्या कम्प्यूटर प्रिन्टर फैक्स अन्य इंटरनेट सुविधा
31. संस्था के भवन में अग्नि से बचाव हेतु लगाये गये अग्निशमन यंत्रों की संख्या
32. सम्बद्धता हेतु जमा शुल्क राशि (रूपये)
33. निशक्त (विकलांग) छात्र-छात्राओं हेतु सुविधाओं (रैंप आदि) की जानकारी
..... (यदि निशक्तजन छात्र को प्रवेश दिया गया है तो जानकारी दें।)

नोट :- 01. अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

02. किसी प्रकार की सूचना असत्य पाये जाने पर सम्बद्धता प्रदान नहीं की जायेगी एवं प्राप्त सम्बद्धता/मान्यता को भी समाप्त कर दिया जावेगा।

हस्ताक्षर सचिव/अध्यक्ष
समिति का नाम एवं पदमुद्रा
दिनांक

हस्ताक्षर प्राचार्य
विद्यालय का नाम एवं पदमुद्रा
नाम
पूरा पता
.....

बोर्ड की निरीक्षण दल एवं संकुल प्राचार्य, किसी एक की अभिमत हो।

टीप :-
.....

हस्ताक्षर (पद मुद्रासहित)

मां सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल ओपन बोर्ड जिला मण्डला (म.प्र.) के नवीन सम्बद्धता/मान्यता
वर्ष 2025-26 हेतु संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों का विवरण :-

1. समिति का ठहराव प्रस्ताव। हां/नहीं
2. समिति का पंजीयन रजिस्ट्रार एवं फर्म सोसायटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति। हां/नहीं
3. समिति की प्रमाणित नियमावली (रजिस्ट्रार एवं फर्म सोसायटी द्वारा जारी) हां/नहीं
4. प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची (धारा 27) प्रमाणित छायाप्रति। हां/नहीं
5. प्रबंध समिति के सदस्यों का समूह रंगीन फोटो। हां/नहीं
6. एम.पी.बोर्ड भोपाल एवं सी.बी.एस.बोर्ड द्वारा सत्र 2025-26 की नवीन एवं नवीनीकरण कक्षा-1 से 10वीं/12वीं तक सम्बद्धता/मान्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति। हां/नहीं
7. अध्यापन हेतु कार्यरत शिक्षकों की योग्यता एवं नियुक्ति दिनांक सहित नियमानुसार जानकारी सहित (संस्कृत योग्यताधारी, शास्त्रीय/आचार्य सहित, अन्य विषय विशेषज्ञ सहित) शिक्षक/शिक्षिकाओं की जानकारी स्टाप लिस्ट की प्रमाणित छायाप्रति। हां/नहीं
8. भूमि/भवन के स्वामित्व की पंजीकृत छायाप्रति तथा सम्पूर्ण भवन की फोटो। हां/नहीं
9. भूमि/भवन के स्वामित्व की खसरा नकल, नक्शा, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित। हां/नहीं
10. वर्तमान शाला भवन यदि किराए पर है तो पंजीकृत अथवा नोटराईज्ड किरायेनामों की छायाप्रति या स्वयं का हो तो पट्टा/रजिस्ट्री की छायाप्रति। हां/नहीं
11. वर्तमान शाला भवन की नक्शे की प्रमाणित छायाप्रति नगर निगम, नगरपालिका अथवा ग्राम पंचायत द्वारा। हां/नहीं

12. बोर्ड की दल निरीक्षण का अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से हो छायाप्रति। हां/नहीं
13. बोर्ड की निरीक्षण दल एवं संकुल प्राचार्य विभागीय अनुमति की प्रमाणित प्रति। (कोई एक) हां/नहीं
14. प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण एवं सामग्री की प्रमाणित प्रति। हां/नहीं
15. तीन वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति। (सोसायटी एवं विद्यालय) हां/नहीं
16. शाला के खेल मैदान की जानकारी के संबंध में प्रमाणित अभिलेख। हां/नहीं
17. संभावित कक्षावार छात्र संख्या। हां/नहीं
18. संभावित कक्षावार समय विभाग चक्र। हां/नहीं
19. सी.सी.टी.वी. कैमरा अनिवार्य है। हां/नहीं
20. स्कूल एवं संस्था के वेबसाइट। हां/नहीं
21. बायोमैट्रिक मशीन। हां/नहीं
22. प्राचार्य/संचालक/अध्यक्ष की पेन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति। हां/नहीं
23. विद्यालय/समिति संस्था का पेन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति। हां/नहीं
24. संभावित शिक्षकवार समय विभाग चक्र। हां/नहीं
25. निःशक्तजनों को वांछित सुविधाओं के संबंध में संस्था का स्वयं का प्रमाण पत्र। हां/नहीं
26. एल.के.जी., यू.के.जी. तथा कक्षा-1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए भूतल व्यवस्था होना चाहिए।(कक्षा-8वीं से 12वीं तक के लिए भूतल व्यवस्था अनिवार्य नहीं है।) हां/नहीं

27. विद्यालय का भवन भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तीन मंजिला से अधिक नहीं होना चाहिए। हां/नहीं
28. स्वयं का प्रमाणिकरण। हां/नहीं
29. भवन के पोस्टकार्ड साईज के दो रंगीन फोटो संलग्न है। हां/नहीं

नोट :- क्षतिग्रस्त भवन निजी एवं किराये की भवन हो तो बोर्ड द्वारा इस स्थिति में अध्ययन केन्द्र नहीं बनाए जायेंगे। इस स्थिति में संस्था/विद्यालय आवेदन ना करें।

टीप :- उपरोक्त अभिलेखों की जो भी छायाप्रतियां संलग्न करें उन्हें स्व-प्रमाणित द्वारा प्रमाणित करवायें।

संस्था प्राचार्य/संचालक
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

// शपथ पत्र //

(500/-रु. के नॉनज्यूडिसियल स्टॉम्प पर)

मैं पिता का नाम आयु साल
निवासी

प्राचार्य/संस्था प्रमुख, सचिव/अध्यक्ष, संस्था समिति शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :-

1. यह कि, मां सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल ओपन बोर्ड जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा निर्धारित मापदण्डों/शर्तों/नियमों का पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी। यदि अनियमितता पाई जाने पर अध्ययन केन्द्र की सम्बद्धता/मान्यता समाप्त कर दी जावेगी। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और ना इसके विरुद्ध कोई परिवाद किसी न्यायालयों में प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।
2. यह कि, सम्बद्धता/मान्यता हेतु दिए गये आवेदन पत्र में अंकित की गई समस्त प्रविष्टियों एवं अभिलेखों को संस्था के मूल दस्तावेजों के अनुसार ही प्रमाणित किये गये हैं, वे सभी प्रपत्र सही एवं विधिसम्मत है।
3. यह कि, आवेदन पत्र में किसी तथ्य/प्रविष्टियों को नहीं छुपाया गया है। यदि कोई जानकारी/अभिलेख अथवा प्रविष्टियां असत्य पाई जाती है तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूंगा।
4. यह कि, समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सचिव व सदस्यों तथा संस्था में समस्त कार्यरत प्राचार्य/प्रधानाचार्य व शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पूर्व में कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रही है और वर्तमान में भी उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है।
5. यह कि, मैंने मां सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल ओपन बोर्ड जिला मण्डला (म.प्र.) के सम्बद्धता/मान्यता संबंधी नियमों एवं शर्तों का अध्ययन कर लिया है तथा समिति सभी शर्तों को मान्य करती है।
6. यह कि, आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो अध्ययन केन्द्र का सम्बद्धता आवेदन निरस्त करने एवं प्राप्त सम्बद्धता को समाप्त करने का अधिकार बोर्ड/संस्थान को रहेगा।
7. यह कि, मां सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल ओपन बोर्ड जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में ही छात्र-छात्राओं को अध्ययन कराया जावेगा। पाठ्यक्रम में अध्ययन ना कराने की स्थिति में एवं छात्र-छात्राओं को सही अध्ययन एवं प्रवेश संबंधित प्रक्रिया में सही मार्गदर्शन नहीं देने पर संस्था की सम्बद्धता निरस्त मानी जावेगी।

...2...

8. यह कि, किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला मण्डला एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर रहेगा।
9. यह कि, संस्था परिशिष्ट-5 में वर्णित अरुण/ प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से उत्तरमध्यमा, अंतिम खण्ड की कक्षाओं हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करती है।
10. यह कि, मां सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल ओपन बोर्ड जिला मण्डला (म.प्र.) की सभी नियमों व शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, पालन नहीं करने पर अध्ययन केन्द्र प्रभारी को बिना सूचना दिए अध्ययन केन्द्र की सम्बद्धता/मान्यता समाप्त कर दी जावेगी।
11. यह कि, स्कूल एवं संस्था को बोर्ड द्वारा अस्थाई तौर पर अध्ययन केन्द्र दी जा रही है। निरीक्षण रिपोर्ट के उपरांत सही होना पाया जाने पर मान्यता दी जावेगी। यदि निरीक्षण रिपोर्ट अमान्य पाया जाता है तो मान्यता नहीं दी जायेगी।

शपथकर्ता

// सत्यापन //

मैं पिता का नाम आयु साल
निवासी का
सत्यापित करता हूँ कि, उपरोक्त वर्णित शपथ पत्र की कंडिका-1 से लेकर 11 तक की जानकारी
सच व सही है।

मण्डला, दिनांक

सत्यापनकर्ता

गवाह :-

1. हस्ता. मो.नं.-
नाम- पिता
पता-
2. हस्ता. मो.नं.-
नाम- पिता
पता-

**मां सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल ओपन बोर्ड जिला मण्डला (म.प्र.) से सम्बद्धता/मान्यता हेतु
आवश्यक निर्देश सत्र 2025-26**

1. नवीन सम्बद्धता के लिए आवेदन बोर्ड के वेबसाइट/ऑफलाईन से भरने की प्रारम्भिक दिनांक से अंतिम दिनांक तक अधिसूचना के माध्यम से जारी कर सभी अध्ययन केन्द्र प्रभारी को बोर्ड द्वारा सूचना दी जायेगी। जिसके लिए कोई भी इच्छुक मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय एवं संस्था म.प्र.प्रदेश या अन्य प्रदेश से आवेदन कर सकते हैं।
2. आवेदन भरने के बाद इसकी एक हार्डकॉपी सम्पूर्ण अभिलेखों के साथ दो प्रतियों में बोर्ड कार्यालय में अंतिम तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। अधिसूचना के माध्यम से जानकारी दी जावेगी।
3. मां सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल ओपन बोर्ड में आवेदन की हार्डकॉपी सम्पूर्ण अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा।
4. बोर्ड द्वारा निरीक्षण दल का गठन कर आवेदनों के निर्धारित मापदण्डों के आधार पर निरीक्षण कर संबंधित विद्यालय एवं संस्था की निरीक्षण टीप एवं विभागीय अनुमति एवं अभिमत निर्धारित समयसीमा पर ऑनलाईन एवं ऑफलाईन के माध्यम से सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।
5. अध्ययन केन्द्र हेतु आवेदन शुल्क 10,500/-रुपये।

कोर्स पाठ्यक्रम फीस शुल्क

क्रं.	कक्षा/स्तर	नवीन सम्बद्धता/मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क राशि एक वर्ष के लिए
1	प्राथमिक स्तर तक के लिए	5,000/-रु.
2	माध्यमिक स्तर तक के लिए	10,000/-रु.
3	हाईस्कूल स्तर तक के लिए	15,000/-रु.
4	हायर सेकण्डरी /उत्तरमध्यमा द्वितीय खण्ड तक के लिए	20,000/-रु.

6. कोर्स पाठ्यक्रम फीस एवं आवेदन शुल्क सहित बैंक ड्राफ्ट डी.डी. या ऑनलाईन के माध्यम से खाता क्रमांक 5749994233 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा मण्डला, IFSC Code:- CBIN0281038 में जमा की जावेगी। चेयरमेन/सचिव, मां सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल ओपन बोर्ड, जिला मण्डला (म.प्र.) के नाम से बैंक ड्राफ्ट डी.डी. किसी भी शासकीय बैंक से बनवाकर बोर्ड कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
7. शासकीय विद्यालय एवं आदर्श संस्कृत विद्यालय/शासकीय महाविद्यालय को सम्बद्धता/मान्यता फीस निःशुल्क रहेगा। आवेदन फीस देना अनिवार्य रहेगा।
8. प्राच्य आवासीय संस्कृत विद्यालय छात्रवास युक्त/परम्परागत आवासीय विद्यालय/गैर परम्परागत शासकीय विद्यालय को सिर्फ आवेदन फीस देना होगा, सम्बद्धता/मान्यता शुल्क नहीं देना होगा। (यह नियम शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय के लिए रहेगा।)
9. विलम्ब शुल्क की राशि निर्धारित शुल्क से प्रत्येक स्तर के लिए दोगुनी देय होगी।
10. उपर्युक्त शर्तें पूर्ण ना किये जाने एवं प्रमाणपत्रादि संलग्न ना किये जाने एवं संदिग्ध प्रतीत होने पर सम्बद्धता/मान्यता प्रदान नहीं की जावेगी एवं प्रदान की हुई सम्बद्धता/मान्यता को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जावेगा।

टीप:- शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय एवं अशासकीय विद्यालय/महाविद्यालय अध्ययन केन्द्र हेतु आवेदन कर सकते हैं।

**मां सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल ओपन बोर्ड जिला मण्डला (म.प्र.) के नवीन सम्बद्धता वर्ष
2025-26 हेतु नीति निर्देश एवं मापदण्ड**

1. समिति का ठहराव प्रस्ताव।
2. समिति का पंजीयन रजिस्ट्रार एवं फर्म सोसायटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।
3. समिति की प्रमाणित नियमावली (रजिस्ट्रार एवं फर्म सोसायटी द्वारा जारी)
4. प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची (धारा 27) की प्रमाणित छायाप्रति जो अद्यतन स्थिति की हो।
5. अध्यापन हेतु कार्यरत शिक्षकों की योग्यता एवं नियुक्ति दिनांक सहित निम्नानुसार जानकारी सहित (संस्कृत योग्यताधारी, शास्त्री/आचार्य सहित) आवेदन में उल्लेख अनुसार अन्य विषय विशेषज्ञ। आवेदित संस्कृत विद्यालय एवं परम्परागत आवासीय एवं गैर परम्परागत/सामान्य विद्यालय में प्रत्येक कक्षा एवं प्रत्येक विषय हेतु पृथक-पृथक वांछित शैक्षणिक योग्यताधारी शिक्षकों का होना अनिवार्य है। वांछित शैक्षणिक योग्यता का तात्पर्य है कि, एल.के.जी. (अरुण) से प्रवेशिका/ प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से उत्तरमध्यमा, अंतिम खण्ड एवं डी.एड./बी.टी.सी. तथा प्रथमा से पूर्वमध्यमा हेतु संबंधित विषय में शास्त्री एवं बी.एड./शिक्षा शास्त्री एवं आधुनिक अन्य विषय आचार्य/एम.ए. (संस्कृत/अंग्रेजी), एम. एस.सी./बी.एड./एम.एड./पी.एच.डी. शिक्षा योग्यताधारी आचार्य होना अनिवार्य है।
6. एम.पी.बोर्ड भोपाल एवं सी.बी.एस.बोर्ड द्वारा सत्र 2025-26 की नवीन मान्यता एवं नवीनीकरण कक्षा-1 से 10वीं/12वीं तक सम्बद्धता/मान्यता प्रमाण पत्र विद्यालय की छायाप्रति।
7. भूमि/भवन के स्वामित्व/किरायेनामा की पंजीकृत छायाप्रति तथा सम्पूर्ण भवन की रंगीन फोटो।
8. भूमि/भवन के स्वामित्व की खसरा नकल, नक्शा, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित।
9. वर्तमान शाला भवन यदि किराए पर है तो पंजीकृत अथवा नोटराईज्ड किराएनामों की छायाप्रति।
10. वर्तमान शाला भवन के नक्शे की प्रमाणित छायाप्रति नगर निगम, नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित प्रति।
11. बोर्ड निरीक्षण दल का अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन।

12. आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय जिस क्षेत्र के लिए आवेदन अध्ययन केन्द्र के लिए मांगी जाती है, उसी क्षेत्र से शासकीय विद्यालय एवं महाविद्यालय के संकुल प्राचार्य की अभिमत एवं निरीक्षण प्रतिवेदन। (यदि बोर्ड के निरीक्षण दल किसी अध्ययन केन्द्र की निरीक्षण करने उस समय पर नहीं पहुंचने की स्थिति में यह नियम लागू होगा।)
13. प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण विषयवार व सामग्री की प्रमाणित प्रति।
14. तीन वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति (सोसायटी की) एवं अंतिम वर्ष का ऑडिट होना अनिवार्य है।
15. शाला के खेल मैदान के संबंध में पृथक-पृथक प्रमाणित अभिलेख।
16. संभावित कक्षावार छात्र संख्या।
17. संभावित कक्षावार समय विभाग चक्र।
18. संभावित शिक्षकवार समय विभाग चक्र।
19. मां सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल ओपन बोर्ड जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा संस्था एवं विद्यालय को अस्थाई तौर पर एक वर्ष के लिए अध्ययन केन्द्र की सम्बद्धता/मान्यता निरीक्षण उपरांत सही पाए जाने पर दी जायेगी। प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण करने के लिए आवेदन बोर्ड को संस्था/विद्यालय द्वारा करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण उपरांत नवीनीकरण की जायेगी।
20. निःशक्तजनों को वांछित सुविधाओं के संबंध में संस्था का स्वयं का प्रमाण पत्र।
21. कक्षा-1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए भूतल में व्यवस्था होना चाहिए। कक्षा-6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भूतल अनिवार्य रूप से उपलब्ध नहीं है।
22. विद्यालय का भवन भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल (तीन मंजिला) से अधिक नहीं होना चाहिए।
23. भवन के पोस्टकार्ड साईज के दो रंगीन फोटो संलग्न हो।
24. बोर्ड की चेयरमैन/सचिव के नाम से आवेदन पत्र अध्ययन केन्द्र के लिए विद्यालय एवं संस्था द्वारा आवश्यक रूप से अनिवार्य है।
25. एक वर्ष में दो बार प्रत्येक छः छः माह में बोर्ड द्वारा परीक्षा ली जायेगी। इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री/पूरक परीक्षा/श्रेणी सुधार हेतु पुनः परीक्षा ली जावेगी।

26. बोर्ड द्वारा कक्षा-5वीं से कक्षा-12वीं तक अनिवार्य विषय- (1) श्रीमद्भगवद्गीता (2) सनातन धर्म वैदिक संस्कृति (3) संस्कृत/संस्कृत व्याकरण साहित्य अनिवार्य विषय है, एवं बोर्ड पाठ्यक्रम के अन्य विषय रहेंगे।
27. नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एन.ई.पी.2020 के नियमानुसार बोर्ड पाठ्यक्रम कोर्स बोर्ड द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

28. **प्रवेश/पाठ्यक्रम शुल्क :-**

बोर्ड द्वारा छात्र/छात्राओं को एस.टी./एस.सी. वर्ग को 30% छूट तथा ओबीसी वर्ग को 20% छूट तथा जनरल वर्ग ई.डब्ल्यू.एस. को 10% छूट जी जावेगी।

क्रं.	कक्षा	वार्षिक पाठ्यक्रम फीस	रजिस्ट्रेशन फीस	नामांकन फीस	परीक्षा फीस	कुल योग
1	5वीं	3,000 / -रु.	250 / -रु.	750 / -रु.	1,500 / -रु.	5,500 / -रु.
2	8वीं	4,500 / -रु.	250 / -रु.	1,050 / -रु.	1,550 / -रु.	7,350 / -रु.
3	10वीं	5,350 / -रु.	350 / -रु.	1,050 / -रु.	1,750 / -रु.	8,500 / -रु.
4	12वीं कला संकाय	6,000 / -रु.	350 / -रु.	1,100 / -रु.	2,050 / -रु.	9,500 / -रु.
5	12वीं विज्ञान संकाय	7,500 / -रु.	350 / -रु.	1,200 / -रु.	2,050 / -रु.	11,100 / -रु.
6	12वीं गणित संकाय	7,000 / -रु.	350 / -रु.	1,200 / -रु.	2,050 / -रु.	10,600 / -रु.

नोट:- उपरोक्त अभिलेखों की जो भी छायाप्रतियां संलग्न करें उन्हें राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाएं।

टीप:- अध्ययन केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता मिलने के उपरांत विद्यालय एवं संस्था को मां सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल ओपन बोर्ड जिला मण्डला (म.प्र.) के नाम से सभी अध्ययन केन्द्र जानी जावेगी।

मां सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल ओपन बोर्ड जिला मण्डला (म.प्र.)

अरूण कक्षा-1 से 4 एवं कक्षा-5 से 12वीं तक कक्षाओं हेतु निर्धारित मापदण्ड

1. स्टाफ :-

- (1) 20 बच्चों के लिए 01 शिक्षक।
- (2) 20 बच्चों पर 01 केयरगिबर (देखभालकर्ता)
- (3) बच्चों की सुरक्षा तथा सेनीटेशन सुनिश्चित करने का दायित्व समस्त स्टाफ का होगा।
- (4) स्कूल में स्टाफ की नियुक्ति के लिये पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।
- (5) स्कूल संचालक या संस्था के किसी भी सदस्य के विरुद्ध जे.जे.एक्ट या पास्को एक्ट के अंतर्गत कोई भी मामला विचाराधीन नहीं होना चाहिए।

2. अध्ययन केन्द्र, भवन में सुविधाएं :-

- (1) प्रत्येक मौसम में बच्चों के रहने के लिये अनुकूल भवन।
- (2) भवन में सुरक्षा दीवार होना चाहिये।
- (3) भवन में पर्याप्त वेन्टीलेशन (हवा एवं प्रकाश) की व्यवस्था हो।
- (4) पृथक से विश्राम कक्ष।
- (5) बंधन मुक्त सलिल।
- (6) बालक और बालिकाओं के लिये अलग-अलग चाइल्ड फ्रेंडली सुविधा युक्त टायलेट (शौचालय) हो।
- (7) स्वच्छ वस्त्र, तौलिया, साबुन नीचे रखे हों, वाशवेसिन आदि नीचे (ऊंचाई पर नहीं) स्थापित हों।
- (8) खाने आदि के लिये पेन्ट्री हों।
- (9) खेल का क्षेत्र हो।
- (10) सम्पूर्ण परिसर में सी.सी.टी.वी. कैमरे हों।
- (11) अग्निशमन यंत्र भी हो।

(12) स्कूल की इमारत सड़क से दूर होनी चाहिए।

(13) तालाब, कुंआ, छेद, खुली नालियां आसपास ना हो।

3. समय :-

राष्ट्रीय बाल संरक्षण एवं शिक्षा नीति 2013 के अनुसार प्रतिदिन 3 से 4 घंटे खुलेंगे एवं विद्यालय आवासीय नहीं होंगे, नॉन रेसिडेंसियल विद्यालय हों।

4. शिक्षण सामग्री :-

महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार प्रत्येक कक्षा को छात्र संख्या के आधार पर पाठ्य सामग्री प्रदान की जावे।

5. पुस्तकालय :-

प्रत्येक विद्यालय में छोटे बच्चों की अनुकूलता की दृष्टि से पठन पाठन सामग्री शैक्षणिक (दृष्य-श्रव्य) सामग्री भी हो।

6. खेल का सामान :-

(1) एम.डब्ल्यू.सी.डी. द्वारा अधिकृत खेल सामग्री हो।

(2) स्कूल के पास बच्चों को खेलने के लिये ग्राउंड होना चाहिए।

7. स्वास्थ्य :-

संस्था/विद्यालय/महाविद्यालय में प्राथमिक उपचार सामग्री, दवाईयों की किट, ओ.आर. एस. पैकेट्स, कैंची, रूई, थर्मामीटर, ऐंटीसेप्टिक ट्यूब आदि समस्त सामग्री एवं उपचार सामग्री में सम्मिलित हो। पंजीकृत चिकित्सक द्वारा बच्चों का त्रैमासिक स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाना चाहिए।

8. प्रवेश की नियम व शर्तें :-

(1) अरुण/उदय कक्षाओं में तीन साल से कम आयु के बालक/बालिकाओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

9. कक्षा-5 वीं से कक्षा-12वीं तक प्रवेश की शर्तें निर्धारित है :-

क्रं.	कक्षा	आयु सीमा संबंधित सत्र की स्थिति में माह जनवरी	शैक्षणिक/अर्हता
1	5वीं	न्यूनतम 11 वर्ष, अधिकतम 11 वर्ष से अधिक	कक्षा-4 उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
2	8वीं	न्यूनतम 14 वर्ष, अधिकतम 14 वर्ष से अधिक	कक्षा-5वीं उत्तीर्ण या 5वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात 2 वर्ष का अंतराल हो अथवा कक्षा-7वीं उत्तीर्ण
3	10वीं	न्यूनतम 16 वर्ष, अधिकतम 16 वर्ष से अधिक	कक्षा-8वीं उत्तीर्ण या 8वीं उत्तीर्ण होने पश्चात 1 वर्ष का अंतराल हो अथवा कक्षा-9वीं उत्तीर्ण
4	12वीं	न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 18 वर्ष से अधिक	मान्यता प्राप्त बोर्ड अन्य शिक्षा संस्थान से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण तथा 1 वर्ष का अंतराल (अथवा) मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से कक्षा 11वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

टीप:-

- 1- प्रवेश के दौरान मूल अभिलेखों से जमा किये जाने वाले अभिलेखों का मिलान/परीक्षण कराना अनिवार्य हो
- 2- प्रवेश के दौरान भारत के नागरिक हों और मूलनिवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, आधार कार्ड होना अनिवार्य हो।
- 3- शासन की मान्यता प्राप्त बोर्ड की अंकसूची ही बोर्ड में प्रवेश के लिए मान्य होगा, जो COBSE की लिस्ट में नाम हो।

10. अभिलेख :-

- (1) बच्चों का नामांकन प्रपत्र।
- (2) प्रवेश एवं नामांकन पंजी जिसमें बच्चों/बच्चियों के नाम तथा माता-पिता दोनों का विवरण भी अंकित हो।

- (3) उपस्थिति पंजी भी हो।
- (4) सभी शिक्षक/शिक्षिकाओं की उपस्थिति पंजी।
- (5) स्टाफ विवरण पंजी हो।
- (6) शुल्क विवरण की पंजी भी सभी बच्चों की हो।
- (7) निवेदक संस्था के समस्त कर्मचारियों का शपथ पत्र पोक्सो एक्ट 2012, जुवेनिल न्याय अधिनियम 2015, बाल श्रम अधिनियम 1986 एवं बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार।

10. विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व :-

- (1) पी.टी.ए. का गठन प्रतिवर्ष प्रवेश के साथ ही 1 वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- (2) पालक शिक्षक संघ में 75% अभिभावक ही रहेंगे, जिनमें 50% माताएं एवं 25% पिता एवं 25 शिक्षक सम्मिलित होंगे।
- (3) पी.टी.ए. की समय अवधि 2 वर्ष की होगी। प्रतिवर्ष रोटेशन (चक्रानुसार) में नवीन पी.टी.ए. गठन होगी।
- (4) प्रतिमाह पालक शिक्षक संघ की बैठक होगी, जिसे कार्यवाही विवरण में सम्मिलित किया जावेगा।
- (5) पी.टी.ए. का मुख्य कार्य बच्चों/बच्चियों को सुरक्षा, संरक्षण और समुचित वातावरण उपलब्ध करवाना।
- (6) नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पंजीकृत डॉक्टर के द्वारा हो।
- (7) आधारभूत प्राथमिक उपचार हेतु दवाईयों की किट की व्यवस्था सुनिश्चित हों।
- (8) प्रवेश एवं प्रवेशित छात्र/छात्राओं की दस्तावेजों की हार्डकॉपी बार्ड संस्थान को भेजना अनिवार्य होगा।
- (9) छात्र/छात्राओं को प्रवेश के समय अध्ययन केन्द्र प्रभारी/विद्यालय संस्था द्वारा प्रवेश संबंधित सही मार्गदर्शन देना अनिवार्य होगा।
- (10) शाला का गतवर्ष का परीक्षा परिणाम आवेदन में उल्लेखित करें।
- (11) नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। यह बंधन शासकीय शालाओं पर भी प्रभावी होगा।

(12) धारा 27 एवं 28 के अंतर्गत प्रबंधकारिणी के सदस्यों की वैध अनुमोदित सूची जो कि रजिस्टर्ड सोसायटी द्वारा प्रमाणित हो जो कि, अध्ययन स्थिति की हो, संलग्न करें। सूची के अभाव में रजिस्टार कार्यालय में जमा किये हुये चलान एवं प्रस्तुत प्रबंध कारिणी समिति की सूची संलग्न करें। जिससे यह प्रमाणित हो सके कि, आपने नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

(13) नवीनीकरण हेतु बोर्ड/संस्थान से जारी गतवर्ष की सम्बद्धता/मान्यता आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(14) उपर्युक्त सूचना/प्रमाण पत्रादि संलग्न न किये जाने एवं संदिग्ध प्रतीत होने पर सम्बद्धता/मान्यता प्रदान नहीं की जावेगी एवं प्रदान की गई सम्बद्धता/मान्यता को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जावेगा।

(15) आवेदन पत्र एवं समस्त सह पत्रों पर अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य हो केवल शासकीय पाठशालाओं में प्राचार्य हस्ताक्षर मान्य होंगे।

(16) संस्कृत विद्यालयों के पूर्वमध्यमा एवं उत्तरमध्यमा अंतिम खण्ड एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं सी.बी.एस.बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय (कक्षा-5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं) की परीक्षा केन्द्र निर्धारित- विकासखण्ड/तहसील एवं जिला स्तर में मां सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल ओपन बोर्ड द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाए जायेंगे। (शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय एवं अशासकीय विद्यालय/महाविद्यालय में परीक्षा केन्द्र बनाए जायेंगे।)

(17) नवीन अध्ययन केन्द्र एवं पूर्व में मान्यता दी गई अध्ययन केन्द्र दोनों के लिए नियम यही लागू होगा।

(18) परीक्षा का माध्यम हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी में लिखित परीक्षा के आधार पर होगी।

(19) विशेष आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाईन माध्यम से परीक्षा बोर्ड द्वारा कराई जायेगी। बोर्ड द्वारा अध्ययन केन्द्र एवं विद्यालय/महाविद्यालय में परीक्षा केन्द्र बनाए जायेंगे।

(20) बोर्ड द्वारा समस्त अध्ययन केन्द्र एवं समस्त जिला अधिकारी को सूचना पत्र के माध्यम से अवगत करा दी जावेगी एवं जनजातीय कार्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन को मां सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल ओपन बोर्ड द्वारा परीक्षाएं संबंधित सूचना दी जायेगी।